

**HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT  
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
(HOSPITALITY AND PROTOCOL DEPARTMENT)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

**(आतिथ्य एवं प्रोटोकल विभागद्ध)**



**HIMACHAL PRADESH STATE GUEST RULES  
1990**

**(AMENDED UP TO NOVEMBER, 2009)**

हिमाचल प्रदेश राज्य अतिथि नियम  
1990  
(नवम्बर, 2009 तक संशोधित)

## **HIMACHAL PRADESH STATE GUEST RULES, 1990 (AMENDED UPTO NOVEMBER, 2009)**

### **CATEGORY-I**

**1.** The following persons when they visit the State of Himachal Pradesh, whether on duty or otherwise, shall be treated as State Guests :—

- (a) The President of India.
- (b) The Vice-President of India.
- (c) The Prime Minister of India.
- (d) The Deputy Prime Minister of India.
- (e) The Chief Justice and Judges of Supreme Court of India.
- (f) The Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha.
- (g) Union Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers of the Central Government.
- (h) Ex-Presidents/Vice-Presidents of India.
- (i) Ex-Prime Minister/Ex-Deputy Prime Minister of India.
- (j) Leader of opposition in the Lok Sabha and Rajya Sabha.
- (k) Former Chief Justice of India.
- (l) Deputy Chairman and Members of Planning Commission.
- (m) Governors of State and Lt. Governors of the Union Territories.
- (n) Chief Ministers of States.
- (o) Chairman and Members of Finance Commission/Minorities Commission.
- (p) Cabinet Secretary, Government of India.
- (q) Chiefs of the Armed Forces.
- (r) Governor of Reserve Bank of India.
- (s) Recipients of Bhart Ratna.
- (t) Central Vigilance Commissioner.

*Notes :—* (i) In the case of President, Vice-President, Prime Minister and Deputy Prime Minister, the dignitaries and the accompanying family members and party shall be treated as State Guests for the entire duration of their stay in the State.

(ii) Dignitaries mentioned from (e) to (t) shall be treated as state guest(s) for a maximum period of three days. For such state guests, facilities free of cost will be provided to a maximum of four family members including spouse, dependent children and parents. Appropriate board and lodging facilities free of cost, will be made available to a maximum of two personal staff including Gunman, if any.

## **CATEGORY-II**

2. The following persons shall be treated as State Guests, if on duty:—
- (a) Chairman and Members of the SC/ST Commission.
  - (b) Chairman and Members of Minorities Commission.
  - (c) Chief Information Commissioner of India.
  - (d) Speaker of the Legislative assemblies of other States.
  - (e) Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Councils of other States.
  - (f) Chief Justices of High courts.
  - (g) CAG/Attorney General of India.
  - (h) Chairman, Union Public Service Commission.
  - (i) Chief Election Commissioner and Election Commissioners of Election Commission of India.
  - (j) Secretaries of the Government of India.
  - (k) Special/Additional/Joint Secretaries, Govt. of India.
  - (l) Chief Secretaries of other State Governments.
  - (m) Chairman & Members of Railway Board.
  - (n) Chairman of Central Board of Indirect and Direct Taxes.
  - (o) Chairman of Parliamentary Committees.
  - (p) Director General of Tourism, GOI.
  - (q) MCI, DCI, and Natural Calamity Assessment Teams.

*Note :—* The persons covered in this category shall be given state guest facilities for a maximum period of three days and accompanying family members/personal staff shall be covered under the definition given in these rules.

## **CATEGORY-III**

3. Any other VIP/eminant person(s) including foreign dignitaries and NSG/SPG Personnel visiting the State in connection with the visit of VIP, may be declared as state guest with the approval of the State Government. So far as Government (including Public Sector) functionaries are concerned only those on duty will be treated as state guests. Provision of State Guest facilities to such persons would be limited to a maximum period of three days and accompanying family members/personal staff shall be governed as per the provisions of these rules. The limit of 3 days will not be applicable to the NSG/SPG Personnel deployed with VIPs mentioned from (a) to (d) in Category-I

*Note :—* The State Guests falling under CATEGORY-II and CATEGORY-III shall have the following two classes :—

- (a) A-CLASS.—Those who are to be provided with all the facilities including boarding, lodging, transport etc. at State expenses.

- (b) **B-CLASS.**— Those who are to be provided with only accommodation at State expenses.

*Note II :—* The State Guests falling under Category-II & III shall be declared as such only if they are on an official visit connected with the affairs of the State of Himachal Pradesh.

#### **CATEGORY-IV**

**4.** For other dignitaries/delegations that happen to visit Himachal Pradesh and their visits are concerned in connection with any Department/Board/Corporation of the State Government, if the Administrative Department of the State Government considers it necessary or useful, it may treat such dignitaries/delegations as Departmental State Guests with the approval of the Chief Minister, Himachal Pradesh. All the arrangements for such departmental State Guests shall be made and the expenditure incurred will be borne by the concerned Department of the State Government.

**5. FAMILY MEMBERS :—**Members of the family of the State Guest will include spouse. However, in special cases this limit of family members will be relaxable with the approval of the State Government.

**6. ACCOMPANYING PERSONAL/SECURITY STAFF :—**Except in the case of the President/Vice-President/Prime Minister, appropriate board and lodging facilities, free of cost, will be provided to a maximum of 2 personal staff including Gunman, if any accompanying the State Guest.

**7. COURTESIES :—**(i) State Guests who are VVIPs/VIPs shall be received by the State dignitaries and other officials depending upon the status of the concerned person (s) and protocol involved in the visit. In other cases, the state guest will be received by an officer of the concerned Department.

(ii) Garlands and bouquets will be offered to the visiting dignitaries depending on the status and importance of the visit. Arrangements for the same will be made by the Hospitality & Protocol Department. Utmost economy, however, is to be observed and unnecessary profusion of garland and bouquets shall be avoided.

(iii) H.E. The Governor, Hon'ble Chief Minister and Chief Secretary may present traditional Himachali gifts, fruits and any other items to the dignitaries depending upon the status and importance of the dignitary and his valuable contribution to the state of H.P. Arrangements for the same will be made by the Hospitality and Protocol Department. Utmost economy, however is to be observed.

**8. TRANSPORT :—**Official cars/taxis will be provided to the state guests free of charge for visits within the state and from/to Chandigarh/Pathankot for purposes of receiving and seeing-off. The State Government may in exceptional cases allow such travel beyond the above limits in the case of VVIPs/VIPs mentioned in category-I. Normally only one car shall be provided to a state guest during his stay in the State. However, during transit, upto two cars may be provided depending on the number of accompanying persons as per the limits set-out in these rules. Where more than one car is required to be attached with the state guest during the period of his stay in the State, specific permission of the State Government in this regard will be necessary. The limits regarding number of cars mentioned herein shall not apply in the case of President, Vice-President and the Prime Minister of India.

**9. ACCOMMODATION:—** Accommodation shall be arranged in the State Guest House, Government Circuit Houses and Rest Houses. Where such accommodation is not available, state guests may be accommodated in H.P.T.D.C. hotels and as a last resort, in private hotels. The status of the dignitary shall be taken into account while arranging accommodation in hotels with regard to the room tariff etc.

If the state guest and eligible family member number three or less, one double bed room shall be provided and if more than three, maximum of two such rooms shall be provided.

**10. BOARDING :—** Free boarding will be provided to the state guests and the family members (as defined in these rules) during their stay in the state and in transit. However, during their stay in the state no expenditure shall be borne by the State Government on entertainment given by the state guests to their own guests.

The ceiling with regard to expenditure on boarding will be fixed from time to time by the State Government.

**11. OTHER FACILITIES/RESTRICTIONS :—** (i) No alcoholic drinks cigarettes, laundry etc. will be provided to the state guest at the State Government's expenses. However, laundry facilities will be provided to the President, Vice-President and Prime Minister of India during their visit to the State on State Government expenses.

(ii) Except in the case of visit of President, Vice-President and the Prime Minister, no trunk calls made by any state guest or a member of the accompanying party shall be paid for by the State Government. All trunk calls charges shall be paid by the State Guests on receipt of the bills.

**12. SECURITY :—** VVIPs/VIPs/State Guests will be provided with required security by the Director General of Police as per the instructions issued by the Ministry of Home Affairs Government of India and the State Government on the subject, from time to time.

**13. RELAXATION :—** The State Government may in the circumstances of each case relax any of the provisions of these Rules relating to composition of entourage of a particular State Guest party and their duration of stay in Himachal Pradesh.

Provided that in case some one is to be declared as State Guest in relaxation of Rules, the approval of the Chief Minister shall be obtained.

## हिमाचल प्रदेश राज्य अतिथि नियम, 1990 (नवम्बर, 2008 तक संशोधित)

### वर्ग-I

1. निम्नलिखित व्यक्ति जब भी शासकीय कार्यवश या अन्यथा हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर आयेंगे, उन्हें अतिथि माना जाएगा :—

- (क) भारत के राष्ट्रपति।
- (ख) भारत के उप-राष्ट्रपति।
- (ग) भारत के प्रधान मन्त्री।

- (घ) भारत के उप-प्रधान मन्त्री ।
- (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश ।
- (च) लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उप-सभापति ।
- (छ) केन्द्रीय सरकार के मन्त्री, राज्य मन्त्री और उप-मन्त्री ।
- (ज) भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति ।
- (झ) भारत के पूर्व प्रधान मन्त्री/पूर्व उप प्रधान मन्त्री ।
- (ञ) लोक सभा/राज्य सभा में विपक्ष के नेता ।
- (ट) भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ।
- (ठ) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य ।
- (ड) राज्यों के राज्यपाल और केन्द्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल ।
- (ढ) अन्य राज्यों के मुख्य मन्त्री ।
- (ण) वित्तयोग/अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ।
- (त) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ।
- (थ) सेनाओं के प्रमुख ।
- (द) भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर ।
- (ध) भारत स्तन प्राप्तकर्ता ।
- (न) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ।

- टिप्पणी :—**
- (1) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा उप-प्रधान मन्त्री की यात्रा पर इन विशिष्ट व्यक्तियों तथा इनके साथ आने वाले परिवार के सदस्य तथा समस्त दल को राज्य में प्रवास की पूर्ण अवधि के लिए राज्य अतिथि माना जाएगा ।
  - (2) (ङ) से (न) तक दर्शाये गये विशिष्ट व्यक्तियों को अधिकतम तीन दिनों के लिए राज्य अतिथि माना जाएगा । इन राज्य अतिथियों के अधिकतम चार परिवार सदस्यों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी, जिनमें पति-पत्नी, आश्रित बच्चे तथा माता-पिता शामिल होंगे । अधिकतम दो निजि स्टाफ जिनमें अंगरक्षक शामिल होंगे, को उपयुक्त निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ।

## वर्ग-II

- 2. निम्नलिखित व्यक्तियों को जब वे शासकीय कार्यवश इस राज्य का भ्रमण करें, राज्य अतिथि माना जाएगा :—**

- (क) अनुसूचित जाति/अनु0जन जाति के अध्यक्ष एवं सदस्य ।
- (ख) अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ।
- (ग) मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार ।
- (घ) अन्य राज्यों के विधान सभा अध्यक्ष ।
- (ङ) अन्य राज्यों के विधान परिषद् के सभापति/उप-सभापति ।
- (च) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ।
- (छ) भारत के सी0ए0जी0/महान्यायवादी ।
- (ज) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ।
- (झ) निवार्चन आयोग भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त ।
- (ञ) भारत सरकार के सचिव ।
- (ट) विशेष/अतिरिक्त/ संयुक्त सचिव भारत सरकार ।

- (ठ) अन्य राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
- (ड) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य ।
- (ढ) केन्द्रीय बोर्ड (अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर) के अध्यक्ष ।
- (ण) संसदीय समितियों के अध्यक्ष ।
- (त) भारत सरकार के पर्यटन महानिदेशक ।
- (थ) एम0सी0आई0, डी0सी0आई0 और प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन टीम ।

**टिप्पणी :—** इस वर्ग में आने वाले व्यक्तियों को राज्य अतिथि की सुविधायें अधिकतम तीन दिनों के लिए दी जाएंगी और साथ आये परिवार के सदस्य/निजी स्टाफ इन नियमों के अधीन दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आएंगे ।

### वर्ग—III

3. किसी अन्य विशिष्ट/प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें विदेशी व्यक्ति तथा अति विशिष्ट व्यक्ति की हिमाचल प्रदेश यात्रा के सम्बन्ध में पधारें एन0एस0जी0/एस0पी0जी0 कर्मियों को राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य अतिथि घोषित किया जा सकेगा । सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को केवल शासकीय कार्यवश यात्रा के दौरान ही राज्य अतिथि घोषित किया जायेगा । इस वर्ग के व्यक्तियों को राज्य अतिथि की सुविधाएं 3 दिनों तक सीमित होंगी । साथ आने वाले परिवार के सदस्य तथा निजी स्टाफ इन नियमों के प्रावधान की परिभाषा में आएंगे । वर्ग—1 में क से घ तक दर्शाए गए अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के सम्बन्ध में लगाए गए एन0एस0जी0/एस0पी0जी0 कर्मियों के लिए 3 दिनों की यात्रा की सीमा लागू नहीं होगी ।

**टिप्पणी. I :—** वर्ग—II तथा वर्ग—III में आने वाले राज्य अतिथियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी :—

- (क) **ए—श्रेणी**—वह राज्य अतिथि जिन्हें राज्य सरकार के खर्च पर खान—पान, आवास एवं परिवहन सम्बन्धी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।
- (ख) **बी—श्रेणी**—वह राज्य अतिथि जिन्हें राज्य सरकार के खर्च पर केवल आवास सुविधा ही उपलब्ध होगी ।

**टिप्पणी II :—** वर्ग—II तथा वर्ग—III में आने वाले व्यक्तियों को राज्य अतिथि तभी घोषित किया जायेगा यदि उनकी यात्रा हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित शासकीय कार्यवश हो ।

### वर्ग—IV

4. अन्य विशिष्ट व्यक्तियों/प्रतिनिधि मण्डल जो हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर हो तथा उनका हिमाचल प्रदेश प्रवास हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम से सम्बन्धित हो, यदि हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रशासनिक विभाग आवश्यक या उपयोगी समझे, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों/प्रतिनिधि मण्डल को मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की पूर्व अनूमति से विभागीय राज्य अतिथि घोषित कर सकता है । ऐसे विभागीय राज्य अतिथियों के लिए सभी प्रकार के प्रबन्ध एवं व्यय का वहन राज्य सरकार का सम्बन्धित विभाग करेगा ।

5. **परिवार के सदस्य** :— राज्य अतिथि के पारिवारिक सदस्यों में पति-पत्नी ही शामिल होंगे। परन्तु विशेष मामलों में राज्य अतिथि के परिवार के सदस्यों की इस सीमा में राज्य सरकार की अनुमति से ढील दी जा सकेगी।

6. **निजि स्टाफ/रक्षा कर्मचारी** :— राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त वर्ग-I तथा वर्ग-II में दर्शाये गये व्यक्तियों के साथ आने वाले अधिकतम दो निजि स्टाफ कर्मचारी जिनमें अंगरक्षक भी शामिल होंगे, को उपयुक्त भोजन तथा आवास की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

7. **शिष्टाचार** :— (i) **स्वागत**—अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों का उनके प्रोटोकोल के अनुसार राज्य सरकार के पदाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा स्वागत किया जायेगा। अन्य राज्य-अतिथियों का स्वागत सम्बन्धित विभाग के किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ii) **फूल मालाएं** :— आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी पद-प्रतिष्ठा तथा यात्रा के महत्व को देखते हुए फूल मालाएं तथा गुलदस्ते भेंट किए जाएंगे। जिसके लिए आतिथ्य एवं प्रोटोकोल विभाग प्रबन्ध करेगा। परन्तु इसके लिए अधिकतम मितव्ययता बरती जायेगी तथा अनावश्यक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

(iii) **विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान** में महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्य मन्त्री एवं मुख्य सचिव द्वारा पारम्परिक हिमाचली उपहार, फल तथा अन्य वस्तुएं उनकी पद-प्रतिष्ठा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रति उनके मूल्यवान योगदान के मध्यनजर भेंट किये जाएंगे। इसका प्रबन्ध आतिथ्य एवं प्रोटोकोल विभाग करेगा। यद्यपि इसके लिए अधिकतम मितव्ययता बरती जायेगी।

8. **परिवहन** :— राज्य अतिथियों को इस राज्य की सीमाओं के भीतर यात्रा तथा चण्डीगढ़ या पटानकोट तक आने-जाने हेतु सरकारी वाहन अथवा टैक्सियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेंगी। राज्य सरकार वर्ग-I में दर्शाये अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशेष परिस्थितियों में इन सीमाओं के बाहर भी निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करा सकेगी। सामान्यतः एक राज्य अतिथि को राज्य में प्रवास के दौरान एक ही वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा, परन्तु साथ आये व्यक्तियों की संख्या, जो इन नियमों में निर्धारित की गई है, को देखते हुए पारगमन के दौरान अधिकतम दो निःशुल्क वाहन उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। राज्य में प्रवास के दौरान एक से अधिक कार उपलब्ध करवाये जाने हेतु राज्य सरकार की विशेष अनुज्ञा आवश्यक होगी।

निःशुल्क वाहनों की संख्या बारे उपरोक्त सीमायें राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री की यात्राओं पर लागू नहीं होंगी।

9. **आवास व्यवस्था** :— आवास व्यवस्था राज्य अतिथि गृह, सर्किट हाउस या विश्राम गृह में की जायेंगी जहां ऐसे सरकारी भवन विद्यमान न हों या इन भवनों में जहां वे विद्यमान हो, कोई आवास उपलब्ध न हों, तो राज्य अतिथियों के आवास का प्रबन्ध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटल या अन्ततः निजि होटल में किया जाएगा। निजि होटल में प्रबन्ध करते समय कमरे के किराये इत्यादि बारे अतिथि के पद तथा प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाएगा।



यदि राज्य अतिथि तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्य तीन या इससे कम हों, तो एक, दो बिस्तरों वाला कमरा उपलब्ध करवाया जायेगा और यदि तीन से अधिक हों तो अधिकतम दो ऐसे कमरे उपलब्ध करवाये जाएंगे।

**10. भोजन व्यवस्था :—** राज्य अतिथियों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों (जो इन नियमों में परिभाषित हैं) को राज्य में प्रवास तथा पारगमन के दौरान निःशुल्क भोजन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। परन्तु राज्य अतिथियों द्वारा अपने अतिथियों के सत्कार पर किये गए किसी व्यय को राज्य सरकार वहन नहीं करेगी।

**11. अन्य सुविधाएं/प्रतिबन्ध :—** (i) राज्य सरकार के खर्च पर राज्य अतिथि को कोई मादक पेय, सिगरेट, कपड़ा धुलाई आदि उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। यद्यपि, कपड़ा धुलाई की सुविधा भारत के महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमन्त्री को हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री की यात्राओं के अतिरिक्त, किसी राज्य अतिथि तथा उनके साथ आये दल के सदस्य द्वारा की गई किसी भी ट्रन्क-टैलीफोन काल का संदाय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। ट्रन्क काल के समस्त व्यय का भुगतान तत्सम्बन्धी बिल प्राप्त होने पर अतिथि द्वारा ही किया जाएगा।

**12. सुरक्षा :—** अतिविशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों/राज्य अतिथियों को अपेक्षित सुरक्षा भारत सरकार के गृह मन्त्रालय और इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

**13. छूट :—** राज्य सरकार प्रत्येक मामले में राज्य अतिथि की संख्या एवं प्रवास अवधि में विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत छूट दे सकती है यदि राज्य अतिथि नियमों में ढील देते हुए घोषित किया गया हो, ऐसी अवस्था में मुख्य मन्त्री की स्वीकृति ली जाएगी।